



KANNAUJ POLICE



दिनांक: 21 दिसम्बर 2025

प्रेस नोट जनपद कन्नौज

जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त नवाब सिंह यादव व वीरपाल उर्फ नीलू यादव की अपराध से अर्जित 8,64,67,000 /- रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क की गयी

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.12.2025 को माननीय न्यायालय/जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा वाद सं. 1613/2025 में धारा 14(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार बनाम नवाब सिंह व वीरपाल उर्फ नीलू यादव निवासी ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज द्वारा अवैध एवं अनियमित ढंग से अर्जित की गई चल/अचल संपत्तियों को जब्त/कुर्क किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.12.2025 को अभियुक्त नवाब सिंह व वीरपाल उर्फ नीलू यादव की 05 विभिन्न स्थानों (मकरंदनगर, कुतलूपुर, तालबरान, जेरकिला, सरायशाह मोहम्मद) पर स्थित जब्त की गई कुल 08 करोड़ 65 लाख (आठ करोड़ पैंसठ लाख रुपये) की संपत्तियों जिसमें 03 भवन तथा 02 कृषि भूमि सम्मिलित हैं जिनमें ग्राम कुतलूपुर तहसील सदर जनपद कन्नौज स्थित लगभग 01 करोड़ 62 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति, मोहल्ला जेर किला तहसील सदर जनपद कन्नौज स्थित लगभग 32 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति, मौजा यूसुफपुर भगवान तहसील सदर जनपद कन्नौज स्थित लगभग 05 करोड़ 06 लाख 34 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति, मौजा सरायशाह मोहम्मद तहसील सदर जनपद कन्नौज स्थित लगभग 36 लाख 44 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति तथा मोहल्ला तालाबरान तहसील सदर जनपद कन्नौज स्थित लगभग 01 करोड़ 27 लाख 89 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति शामिल हैं को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कुर्क किया गया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सदर अर्पित यादव, अविनाश कुमार SDM, अभिषेक प्रताप अजेय क्षेत्राधिकारी नगर, भरत कुमार मौर्या नायव तहसीलदार सदर, जितेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज, संजय कुमार शुक्ला प्रभारी निरीक्षक थाना तिर्वा उपस्थित रहे। जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्तियों का रिसीवर भरत कुमार मौर्या नायव तहसीलदार सदर कन्नौज को नियुक्त किया गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मुनादी कराते हुये भारी पुलिस बल एवं पीएसी की उपस्थिति में सम्पन्न की गयी।

अभियुक्तगणों का विवरण--

1. नवाब सिंह यादव पुत्र स्व० चेताराम निवासी ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज
2. वीरपाल उर्फ नीलू यादव पुत्र स्व० चेताराम निवासी ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

08 करोड़ 64 लाख 67 हजार रुपये की संपत्ति जिसमें 03 भवन तथा 02 कृषि भूमि सम्मिलित हैं